न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 323/2011

1 लक्ष्मणराम पुत्र पोखरराम।
2 प्रकाशचन्द पुत्र पोखरराम समस्त जाति जाट निवासीगण भीराणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 अर्जुनलाल पुत्र पोखरराम।
2 भगवानाराम पुत्र पोखरराम समस्त जाति जाट निवासीगण भीराणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 रामेश्वरलाल (मृतक)।
3/1 पूर्णी देवी पत्नी रामेश्वरलाल।
3/2 अजय पुत्र रामेश्वरलाल।
3/3 अशोक पुत्र रामेश्वरलाल जरिये संरक्षिका माता पूर्णी देवी पत्नी रामेश्वरलाल समस्त जाति जाट निवासीगण भीराणा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 पूनम कुमारी पुत्री सुरजाराम जरिये प्राकृतिक संरक्षक पिता सुरजाराम पुत्र घीसाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी खुद तन राजपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 पटवारी हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
6 उप पंजियक महोदय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
7 तहसीलदार दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 आर.टी.एक्ट विरूद्व निर्णय डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर दावा संख्या 11/04 उनवानी लक्ष्मणराम बनाम अर्जुनलाल
दिनांक 27.09.2011

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रदीप जोशी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः— 31.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 11/2004 में पारित निर्णय दिनांक 27.09.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से ग्राम भिराणा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 912,914 के सन्दर्भ में उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा का वाद प्रस्तुत हुआ। दिनांक 16.06.2010 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस डिक्री की पालना में दिनांक 14.10.2010 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये दिनांक 12.11.2010 को आपत्ति प्राप्त हुई। दिनांक 28.06.2011 को पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 तथा 151 सीपीसी नियत थी। दिनांक 05.07.2011 को पत्रावली में इन प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई। तब से पत्रावली आदेश में चल रही थी। दिनांक 27.09.2011 को बिना किसी सुनवाई के विचाराधीन अन्तिम डिक्री कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से ग्राम भिराणा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 912,914 के सन्दर्भ में उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा का वाद प्रस्तुत हुआ। दिनांक 16.06.2010 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस डिक्री की पालना में दिनांक 14.10.2010 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये दिनांक 12.11.2010 को आपत्ति प्राप्त हुई। दिनांक 28.06.2011 को पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 तथा 151 सीपीसी नियत थी। दिनांक 05.07.2011 को पत्रावली में इन प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई। तब से पत्रावली आदेश में चल रही थी। दिनांक 27.09.2011 को बिना किसी सुनवाई के विचाराधीन अन्तिम डिक्री कर दी। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्षों को सुनकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री जारी किये जाने पर उभयपक्ष की सहमती होना आदेशिका में अंकित किया है। सहमती के आधार पर विचाराधीन अन्तिम डिक्री जारी करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नही की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है अपील सारहीन है अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट की ओर से ग्राम भिराणा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 912,914 के सन्दर्भ में उदघोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारा का वाद प्रस्तुत हुआ। दिनांक 16.06.2010 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। इस डिक्री की पालना में दिनांक 14.10.2010 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये दिनांक 12.11.2010 को आपत्ति प्राप्त हुई। दिनांक 28.06.2011 को पत्रावली वास्ते सुनवाई

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रार्थना पत्र आपत्ति मौका रिपोर्ट व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 तथा 151 सीपीसी नियत थी। दिनांक 05.07.2011 को पत्रावली में इन प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनी गई। तब से पत्रावली आदेश में चल रही थी। दिनांक 27.09.2011 को बिना किसी सुनवाई के विचाराधीन अन्तिम डिक्री कर दी। विचारण न्यायालय की आदेशिका में यद्यपि अन्तिम डिक्री के लिये आपसी सहमती का अंकन है किन्तु आदेशिका पर वादी अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता के हस्ताक्षर नही है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के विधिक प्रावधानों के विपरित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अन्तिम डिक्री से पूर्व लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 31.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर